<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112021-231025 CG-DL-E-11112021-231025

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

No. 640]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

सं. 65/2021-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 789(अ).—अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.िन. 698(अ) दिनांक 14 जुलाई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 190354/81/2021-टीआरयू]

ज. स. कंधारी, उप सचिव

6477 GI/2021 (1)

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2021

No. 65/2021-Customs (ADD)

**G.S.R. 789(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff(Identification, Assessment, and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/2016-Customs (ADD) dated the 14<sup>th</sup> July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. number 698 (E), dated the 14<sup>th</sup> July, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 190354/81/2021-TRU]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.